


महोदय,

प्रार्थीया हमीर कौर पत्नी तारा सिंह निवासी 2 डी बडी कोठा शरकज नहर कोठा ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहो के शपथ पत्र, मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 28.12.2017 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थीया को गवाह श्री सुखराम पुत्र तारा सिंह एवं किशन लाल पुत्र भीखाराम ने पहचाना है। प्रार्थीया एवं गवाहों की शिनाख्त श्री कंवलजीत कौर अरोडा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है 
जिला पंजीयक महोदय

2021/276

